तारीख हुक्म	न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर) [illegible] हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज [illegible] मु.नं. - 121/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	है। बावजूद अवसरों के भी वकील वादी द्वारा जवाब कोश दावा पेश नही करने पर कोश दावा का जवाब बंद किया जाता है तथा वकील वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक डिक्री को खारिज किया जाता है तथा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को भी अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज हो जाने से वकील प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा पर आज ही बहस सुनी जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विधिक प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में बहस वकील प्रतिवादीगण एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनाक 14.08.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
14.08.2024	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित । वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कोस दावा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर प्रतिदावा को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 1086/भू0अ0/23 दिनांक 03.07.2023 द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता हैं। प्रकरण मे विस्तृत निर्णय [illegible] द्वारा पृथक से [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
121/2021	2021/280	22.09.2021	14.08.2024 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. भैरूराम पुत्र मंशाराम मृत्तक के बजायः–

   1/1 सुन्दर पुत्र स्व0 भैरूंराम

   1/2 औमप्रकारश पुत्र स्व0 भैरूराम

   1/3 विदामी देवी पत्नी स्व0 भैरूराम

   1/4 पिंकी देवी पुत्री स्व0 भैरूराम पत्नी राजू

   1/5 नन्छी देवी पुत्री स्व0 भैरूराम पत्नी कालूराम

   समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी छीलावाली तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––वादीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र नानगराम
2. किशन पुत्र नानगराम
3. झूंथाराम पुत्र मंशाराम
4. रामपाल पुत्र मंशाराम
5. मक्खन पुत्र मंशाराम

   समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी छीलावाली तन ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

6. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7. प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

--प्रतिवादीगण--

उपस्थितः–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक (अनुपस्थित) ।
श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, रामावतार सैनी प्रथम, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 अभिभाषक।
श्री सरदार सिह चौधरी, एड0 प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 6 की ओर से।

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1409 लगायत 1413, 1550 एवं ख0 न0 1552 कुल किता 07 कुल रकबा 3.67 है0 तन राजस्व ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 व प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 04 के नाम क्रमशः 1/10, 1/10 व 1/5 हिस्से की अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 आपस में सगे भाई व भतीजे है। वादी के 1/5 हिस्से की भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं दीगर का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं है। उक्त वर्णित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 01 ता 05 की अविभाजित भूमियां है उक्त भूमियों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 उक्त भूमियों को बाला–बाला विधिक या

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सतुंलित रूप से बटवारा करवाये, भूमियों किमती होने के कारण दीगर भूमाफिया वृत्ति के लोगों को विक्रय करने एवं उनका कब्जा करवाने व भूमियों के विशिष्ठ भाग पर निर्माण करने व करवाने तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करवाने की धमकियां दे रहे हैं व वादी को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं व कुचेष्टा कर रहे हैं। जिनको शामलाती भूमि का बिना बटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। वादी को प्रतिवादीगण नं. 01 ता 05 ने हैरान परेशान कर रखा है तथा कहने, सुनने से मान नहीं रहे हैं। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त वर्णित भूमि मुतनाजा का विधिक बंटवारा नहीं होने से वादी को सख्त इकतल्फी है। भूमियों का विधिक विभाजन नहीं होने से व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की भूमि मुतनाजा में बेजा हरकतों से वादी का भूमि को शामिल में काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का विधिक तकासमा करवाया जाकर हिस्सेनुसार तन्हा खातेदारी अलग अलग अंकित किया जाना व उसके अनुसार अलग अलग कब्जा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को बिना विधिक बंटवारे के शामलाती अविभक्त भूमियों के किसी भी विशेष भू–भाग पर निर्माण करने, दीगर भूमाफिया वृत्ति के लोगों को बेचान करने या स्वयं का विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने व भूमियों को खुर्द बुर्द करने का कोई कानूनी हक अधिकार किसी किस्म का नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 बिना विधिक बंटवारा कराये उक्त वर्णित भूमियों को दीगर को बेचान करने एवं जबरन विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने पर आमादा है तथा धमकी दे रहे हैं कि हम हमारी इच्छानुसार भूमियों के विशिष्ठ भाग पर कब्जा करके वादी को शामलाती भूमि से बेदखल करेंगे तथा दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को विक्रय करेंगे। यदि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 ने शामलाती भूमि में विशिष्ठ जगह पर स्वयं का कब्जा कर लिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगों को अंतरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अंतरित कर दिया तो वादी के भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

मूल्यता में निहित विधिक हक हकूक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। वादी अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगा। अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी जिससे वादी को इस कदर क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण सख्या 01 ता 05 की उक्त गलत, अवैध एव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का कानूनी अधिकारी है एव प्रतिवादीगण सख्या 01 ता 05 को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए वादी ने उपरोक्त भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण सख्या 01 ता 05 को कहा तो वे आजकल–आजकल करते रहे तथा अर्सा 5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण सख्या 01 ता 05 ने भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया तथा बिना विधिक विभाजन के भूमियों के विशिष्ठ एवं उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण एवं कब्जा करने व दीगर व्यक्तियों को अंतरित करने की धमकी देने से बिना दावा पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा हैं तथा हस्ब कानून मियाद अंदर मियाद हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1409 लगायत 1413 एवं खसरा नम्बर 1550 व 1552 कुल किता 07 कुल रकबा 3.67 है0 तन राजस्व ग्राम छीलावाली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग–अलग सींव कायम पर नक्शे में तरमीम करवाये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपने प्रस्तुत वादपत्र में किया है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से श्री रामावतार सैनी प्रथम एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब दावा मय कोस दावा पेश किया। वकील वादी ने वकील प्रतिवादीगण द्वारा पेश कोस दावा का जवाब प्रतिदावा पेश नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

किया है। वकील वादी को कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकील वादी व उनकी ओर से कोई भी ब्रीफ होल्डर बावजूद आवाजो के भी हाजिर अदालत नही आये है। प्रकरण मे वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के विभाजन से सम्बन्धित होने से सीधे ही प्रतिदावा मे पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा मे सजरा खानदान के मुताबिक पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर ग्राम छिलावाली के भूमि खसरा नम्बर 1295, 1678/1302, 1679/1302 कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 है0 पक्षकारान की पैत्रिक संपदा होने तथा खसरा नम्बर 1409 से 1413, 1550 व 1552 पक्षकारान् की खरीदशुदा संपदा होने बाबत अंकित किया हैं। जिसका पक्षकारान के पिता व पूर्वज स्व. मशाराम की मौजूदगी व उपस्थित में तथा सभी भाईयों ने पिताजी के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अर्सा करीबन 40–45 वर्ष पूर्व वादी द्वारा अलग होकर भूमियो का बंटवारा करने हेतु विवाद करने पर भूमि का आपस में विभाजन कर लिया था। जिसमें वादी ने चूंकि तत्कालीन समय में पैत्रिक भूमि कोठी रामसागर जो कि पिताजी के स्वयं की सिंचित व उपजाऊ भूमि थी की वादी ने स्वयं ने लेने हेतु जिद करने पर तत्कालीन समय में वर्तमान ख0 न0 1295, 1678/1302, 1679/1302 कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 है0 पक्षकारान की पैत्रिक संपदा हैं तथा ख0 न0 1409 से 1413, 1550 व 1552 की भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी थी। जिसका भी पक्षकारान के मध्य हुए विभाजन के अनुसार ख0 न0 1552 रकबा 0.92 है0 प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 एवं पिता स्व. नानगराम के हिस्से में एवं ख0 न0 1409 रकबा 0.84 है0 रामपाल के हिस्से में व ख0 न0 1411 से 1413 प्रतिवादी नम्बर 5 मक्खनलाल के हिस्से मे आयी थी। तबसे सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमियों पर अलग–अलग काबिज काश्त हैं। उक्त आराजी भूमि से वादी का कोई संबंध नहीं रहा हैं, ना ही कोई कब्जा रहा हैं, ना ही अर्जि है। ऐसी सूरत में वादपत्र तथ्यों को छुपाकर बदनियति से पेश किया हैं। जो काबिले निरस्त हैं। पक्षकारान के मध्य वर्ष 40–45 पूर्व हुए विभाजन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बाद वर्ष 2001 में वादी भैरूराम ने विभाजन बाबत् लिखावट लिखने का दबाव बनाने पर तथा स्वयं के हिस्से से आगी भूमि कोठी रामसागर के अकेले के हिस्से में होने बाबत लिखावट लिखकर देने हेतु प्रतिवादीगण पर दबाव बनाने पर प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन की लिखावट हेतु सहमति दे दी थी। जिस पर दिनांक 13.03.2001 को स्वयं वादी भैरूराम तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर सीकर में स्वयं के नाम का 10/–रू का स्टाम्प लाकर पक्षकारान के रिश्तेदार स्व. कल्याणमल सैनी निवासी ग्राम विजयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर से अर्सा करीब 40–45 वर्ष पूर्व हुए विभाजन की लिखावट लिखवाकर ढाणी व परिवार के करीब 15–20 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की साक्षी में विभाजन की लिखावट लिखवाकर नोटेरी गिरीराज शर्मा एड0 से दिनांक 14.03.2001 को बंटवारानामा निष्पादित कर दिया था। जिसके तथ्यों को छुपाकर बदनियति से उक्त आवेदन पेश किया हैं। जो काबिले निरस्त हैं। वादी चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति हैं। जो अब स्वयं द्वारा निष्पादित विभाजन लेख दिनांक 14.03.2001 के तथ्यों को जानबूझकर छुपाते हुए प्रतिवादीगण की कब्जे अधिकार की भूमि को हड़पने व प्रतिवादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व रिहायश व उपयोग–उपभोग में जबरन दीगर लोगों के सहयोग से मजाहमत पैदा करके प्रतिवादीगण के परिवार को बर्बाद करना चाहता हैं। जिसका वादी को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण बहैसियत खातेदार अपने अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त व आबाद हैं। लिहाजा वादी को क्रोस वादपत्र से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं एवं न्यायहित में वादी का वादपत्र निरस्त किया जाकर वादी को क्रोस वादपत्र से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। पारिवारिक विभाजन दिनांक 14.03.2001 के अनुसार ख0 न0 1295, 1678/1302, 1679/1302 कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 है0 तन् ग्राम छिलावाली का अकेले वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अकेले वादी भैरूराम के नाम अंकित कर दी जावे तथा राजस्व [illegible]ाली की भूमि ख0 न0 1552 रकबा 0.92 है0 प्रतिवादीगण नं. 1 [illegible] बराबर–बराबर हिस्सेनुसार, ख0 न0 1550 रकबा 0.85 है0 प्रतिवादी नं. 3 झूंथाराम [illegible] ख0 न0 1409 रकबा 0.84 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादी नम्बर 4 रामपाल को तथा ख0 न0 1411, 1412, 1413 रकबा 1.02 है0 का प्रकेले प्रतिवादी न0 5 मक्खनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार सभी पक्षकारान के नाम विवादित भूमियों की अलग-अलग खातेदारी दर्ज की जाकर एक दूसरे का खातेदारी से नाम हटाया जावे। वादी को जरिये क्रोस स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उत्तरदाता प्रतिवादीगण के कब्जे व अधिकार की भूमि के शातिपूर्ण कब्जे काश्त व रिहायश एव उपयोग-उपभोग में किसी भी तरह की कोई मजाहमत पैदा नही करे, ना ही अपने नाम खातेदारी दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को खुर्द-बुर्द करे, ना ही अन्य किसी से ऐसा करावें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे प्रतिवादीगण के विधिक हक हकूकों पर कोई विपरीत असर पडता हो। इसलिए प्रतिदावा पेश कर बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा मय क्रोस दावा में अंकित भूमियों का पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी कर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग-अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में दिनांक 15.09.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम- 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प-51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्दशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2956/रीडर/2023 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1086/भू.अ./2023 दिनांक 03.07.2023 को प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली संलग्न है। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट के विरूद्ध वकील वादी ने एक एतराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण मे वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा गलत व बनावटी तथ्योयुक्त प्रस्तुत कोस दावा के जवाब का कोई अवसर नही दिया जाकर तथाकथित फर्जी व कूटरचित लिखावट बटवारानामा दिनांक 14.03.2001 की आड मे न्यायालय को गुमराह कर दिनांक 03.11.2022 को वादी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे एकपक्षीय निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री पारित करवाकर विभाजन प्रस्ताव गलत तरीके से तैयार करवाया जाकर न्यायालय मे पेश किया गया है। जबकि उक्त विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान् की मौजूदगी मे सही विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर विधिवत रूप से विवादक तनकीयात कायम की जाकर व विधिवत साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित किये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है। जिसके प्रत्युत्तर में वकील प्रतिवादीगण ने अवगत कराया कि वादीगण के पिता भैरूराम के द्वारा न्यायालय हाजा मे वाद बाबत तकरमा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। जिसमें प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब मय कोस दावा पेश किया जाकर वादग्रस्त भूमियों के पक्षकारान् द्वारा पारिवारिक विभाजन दिनांक 14.03.2021 के करीबन 25 वर्ष पहले से ही मौके पर अलग–अलग रिहायश कर अपने अपने हिस्से में अलग–अलग ट्यबवैल लगाकर अपने हिस्से की भूमियों की सिचांई करते आना तथा पारिवारिक विभाजन लिखावट दिनांक 14.03.21को 10/– रूपये के स्टाम्प पर रिश्तेदारो की मौजूदगी में करवाकर श्री गिरीराज शर्मा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर अपने–अपने हिस्से मे आई भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने की इस्तदुआ चाही गई है। प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 03.3.2022 को जवाब दावा मय कोस दावा पेश करने के उपरान्त भी वादीगण द्वारा कोस दावा का जवाब पेश नहीं किया गया तथा ना ही न्यायालय हाजा में उपस्थित ही आये। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी कर राजस्व अधिकारी तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने से प्रकरण मे तनकीयात की आवश्यकता नहीं होने तथा प्रकरण को देरीना करने की वजह से उक्त एतराज प्रार्थना पत्र को पेश किये जाने से प्रार्थना पत्र एतराज खारिज किये जाने का निवेदन किया है। उक्त एतराज प्रार्थना पत्र के जवाब की प्रति वकील वादीगण को दिलाई जाने के बाद भी वकील वादीगण बावजूद अवसरो के भी उपस्थित नही आये है। अतः वकील वादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है तथा वकील वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर राजस्थान)

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज खारिज किया जाता है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को भी अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है।

वकील वादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने से वकील प्रतिवादीगण ने प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रकट करते हुए उसके अनुसार प्रतिदावा पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मे अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। अतः वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित मे उचित समझता हूं।

क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रतिवादीगण का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 03.07.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाते की स्थिति :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रू. में)
	1. किशनलाल पुत्र नानगराम हिस्सा 1/10 जाति माली 2. गणपतराम पुत्र नानगराम हिस्सा 1/10 जाति माली	1295 [illegible] 1679/1302	0.88 [illegible] 0.0120	चाही-1 बारानी-2 गै.मु.रास्ता	20.66 0.88 –

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

राहिन बीआरकेजीबी शाखा अरनिया 3 झुथाराम पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 जाति माली 4. प्रभाती पुत्री मंशाराम हिस्सा 1/50 जाति माली 5. बाली देवी पत्नी मंशाराम हिस्सा 1/50 जाति माली 6. भेरूराम पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/10 जाति माली 7. भोली पुत्री मंशाराम हिस्सा 1/10 जाति माली 8. मक्खन लाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 जाति माली 9. रामप्यारी पुत्री मंशाराम हिस्सा 1/50 जाति माली 10.सुन्दर पुत्री मंशाराम हिस्सा 1/50 जाति माली 11.रामपाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 जाति माली					
योग खाता	किता–3	1.13 है0			21.54
1. किशनलाल पुत्र नानगराम हिस्सा 1/10 जाति माली राहिन बीआरकेजीबी शाखा गहरोली	1409	0.84	बारानी 2		3.12
2. गणपतराम पुत्र नानगराम	1410	0.04	गै.मु.		–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्सा 1/10 जाति माली राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली			रास्ता	
3. झुंथाराम पुत्र मंशा हिस्सा 1/5 जाति माली	1411	0.01	बारानी 2	0.04
4. भैरूराम पुत्र मंशा हिस्सा 1/5 जाति माली राहिन एसबीआई रींगस	1412	0.03	—	0.11
5. मक्खन लाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 जाति माली राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा श्रीमाधोपुर	1413	0.98	—	3.64
6. रामपाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 जाति माली राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा रींगस	1550	0.85	—	3.15
योग खाता	किता–6	2.75	—	10.06
1. किशनलाल पुत्र नानगराम हिस्सा 1/10 जाति 2. गणपतराम पुत्र नानगराम हिस्सा 1/10 जाति माली राहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली 3. झुंथाराम पुत्र मंशा हिस्सा 1/5 जाति माली 4. भैरूराम पुत्र मंशा हिस्सा 1/5 जाति माली राहिन	1759/1552	0.8945	बारानी 2	3.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

एसबीआई रींगस 5 मक्खन लाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 जाति माली 6 रामपाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 जाति माली				

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव

काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेगें)	किस्म	लगान (रू. गें)
1. भैरूराम पुत्र मंशाराम जाति माली हिस्सा 9/10 मृत्तक के बजाय:– 1/1 सुन्दर पुत्र स्व0 भैरूंराम 1/2 औमप्रकारश पुत्र स्व0 भैरूराम 1/3 बिदामी देवी पत्नी स्व0 भैरूराम 1/4 पिंकी देवी पुत्री स्व0 भैरूराम पत्नी राजू 1/5 नन्छी देवी पुत्री स्व0 भैरूराम पत्नी कालूराम वहिस्सा बराबर	1295 1678/1302 1679/1302	0.88 0.2380 0.0120		20.66 0.88 –

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2. प्रभाती, मोती देवी, रामप्यारी, सुन्दर पुत्री मगना राम हिस्सा 4/50 जाति माली बाली देवी पत्नी मगनाराम हिस्सा 1/50 जाति माली				
1. किशन लाल पुत्र नानग राम हिस्सा 1/2 2. गणपत राम पुत्र नानगराम हिस्सा 1/2 रहिन बीआरकेजीबी शाखा महरोली रामरत जाति माली	1759/1552	0.8945		3.32
झूथाराम पुत्र मंगाराम जाति माली	1550	0.8500		3.15
रामपाल पुत्र मंगाराम जाति माली रहिन सिंडीकेट बैंक शाखा रींगस	1409	0.8400		3.12
मक्खन लाल पुत्र मंगाराम जाति माली रहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा श्रीमाधोपुर	1411 1412 1413	0.0100 0.0300 0.9800		0.04 0.11 3.64
	किता–3	1.02		3.79
1. किशन लाल गणपतराम पुत्र नानगराम हिस्सा 1/5 जाति माली रहिन बीआरकेजीबी शाखा	1410	0.0[illegible]	–	–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकरथाना)

महरोली बुधाराम पुत्र मशाराम हिस्सा 1/5 राहिन एसबीआई रींगस

भैरूराम पुत्र मशाराम हिस्सा 1/5 राहिन एसबीआई शाखा रींगस मृत्तक के बजाय:–

1/1 सुन्दर पुत्र स्व0 भैरूराम

1/2 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 भैरूराम

1/3 बिदामी देवी पत्नी स्व0 भैरूराम

1/4 पिंकी देवी पुत्री स्व0 भैरूराम पत्नी राजू

1/5 नन्छी देवी पुत्री स्व0 भैरूराम पत्नी कालूराम बहिस्सा बराबर

मक्खनलाल पुत्र मंशाराम हिस्सा 1/5 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा श्रीमाधोपुर

रामपाल पुत्र मंशा हिस्सा 1/5 जाति माली राहिन सिडीकेट बैंक शाखा रींगस

नोट:– वादी भैरूराम पुत्र मंशाराम जाति माली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर राज.) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकरराज.)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1086 / भू.अ. / 23 दिनांक 03.07.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested